न्यायालय, जिला अपर सत्र न्यायाधीश–नवम् सिवान

जमानत आवेदन सं0– 284 / 2026

बसंतपुर थाना काण्ड सं0– 338 / 2025

अंतर्गत धारा 126(2),115(2),118(1), 109(1),303(2),352, 351(2) 3/5 BNS

दिनेश यादव ..... आवेदक।

बनाम्

राज्य सरकार..... विपक्षी

09.04.2026 आवेदक अभियुक्त दिनेश यादव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उभयपक्षो का सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है इसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का पूर्व में अग्रिम जमानत सं0 2649 / 25 नॉट प्रेस में खारिज हो गया। आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन 3385 / 25 मा0 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा अस्वीकृत किया गया है। इसके बाद मा0 उच्च न्यायालय पटना में क्रिमिनल मिसलेनियस सं0 10065 / 2026 दाखिल किया गया लेकिन अभियुक्त गिरफ्तार हो गया तब 20.02.2026 को याचिका वापस ली गयी। वर्तमान में कोई जमानत आवेदन लंबित नहीं है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। उभयपक्ष के बीच पलटावाद है। दिनांक 20.02.2026 से कारा में है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक का जमानत का विरोध कतरे हु निवेदन करते है कि शत्रुध्न सिंह का इंजुरी रिपोर्ट में The injury maybe grievous in nature आया है। रितेश सिंह का इंजुरी रिपोर्ट में nature of injury simple बताया गया है। केस डायरी के पैरा 15 में caused by hard and blunt substance आया है। अतः उचित आदेश पारित करें।

प्रसांगिक मामले संक्षेप में यह है कि सूचक फुल कुमारी देवी का कथन है कि दिनांक 27.05.'2025 को करीब 10 बजे रेलवे पुल के पास मनीष यादव, विकास यादव, सचिन यादव, दिनेश यादव, अरविंद यादव ने एक राय व साजिश से लाठी, डंडा पिस्टल से लैश होकर सूचक के पुत्र रितेश कुमार को लूटने की नियत से मनीष यादव के कमर से पिस्तौल निकालकर सूचिका के पति का मोटरसाईकिल रोक दिया तथा दिनेश यादव चाकू से जान मारने की नियत से सूचिका के पति के गर्दन पर चलाया। सूचिका के पति ने रोका तो दूसरा चाकू सूचिका के पति के मुंह के नीचे लगा। सूचिका के पति का शरीर जख्मी हो गया। विकाश यादव ने जान मारने की नियत से लोहे के रड से रितेश कुमार के सर पर मारा जिससे सर फट गया, दोनो बुरी तरह जख्मी हो गये। दिनेश यादव ने ललकारते हुए बोला इसको लूट लो तभी सूचिका के पति के पॉकेट से 2 लाख रूपया सचिन यादव ने निकाल लिया तथा 5 हजार रूपया अरविंद यादव ने निकाल लिया। मनीष यादव ने धमकी दिया कि केस करोगी तो पूरे परिवार को मार देंगे।

न्यायालय, जिला अपर सत्र न्यायाधीश–नवम् सिवान

जमानत आवेदन सं0– 284 / 2026

बसंतपुर थाना काण्ड सं0– 338 / 2025

अंतर्गत धारा 126(2),115(2),118(1), 109(1),303(2),352, 351(2) 3/5 BNS

दिनेश यादव ..... आवेदक।

बनाम्

राज्य सरकार..... विपक्षी

उभयपक्षों को सुना। काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रासंगिक काण्ड धारा धारा 126(2),115(2),118(1), 109(1),303(2),352, 351(2) 3/5 BNS के अर्न्तगत आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदक पर आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पति, बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप है। प्राथमिकी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक दिनेश कुमार पर आरोप है कि उसने सूचिका के पति को चाकू से वार किया वह मुंह के नीचे लगा तथा उसने ललकारते हुए बोला की लूट लो तब सचिन यादव ने 2 लाख रूपया तथा अरविंद यादव ने 5 हजार रूपया पॉकेट से निकाल लिया। उभयपक्ष के बीच पलटावाद है। उस पलटावाद सं0 भवगानपुर 228 / 2025 है। दोनो पक्ष पड़ोसी गांव के है। शत्रुध्न सिंह का इंजुरी रिपोर्ट में The injury maybe grievous in nature आया है। रितेश सिंह का इंजुरी रिपोर्ट में nature of injury simple बताया गया है। केस डायरी के पैरा 15 में caused by hard and blunt substance आया है। आवेदक 20.02.2026 से काराधीन है। कांड अभी अनुसंधानरत है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं काराधीन अभियुक्त के कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त के द्वारा दाखिल नियमित जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक अभियुक्त दिनेश यादव को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय, सिवान की संतुष्टि पर 10,000 / –(दस हजार) रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंध–पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार नजदीकी संबंधी होंगे, दूसरा जमानतदार उसी थाने का होगा, अभियुक्त साक्षी को डरायेंगे धमकायेंगे नहीं, अनुसंधान में सहयोग करेंगे तथा इस तरह के कार्य में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।

(**लेखापित**)
ह0 / –
(सुशान्त रंजन)
जिला अपर सत्र न्यायाधीश–नवम्
09.04.2026